• बजट...

रेलवे विस्तारीकरण के लिए 2698 करोड़

राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के भेंट की इस अवसर पर राज्यसभा सांसद की केंद्रीय मंत्री से हिमाचल प्रदेश को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश का ध्यान रखा है यह बहुत बड़ी बात है। महाजन ने कहा कि हिमाचल को बजट में विशेष स्थान मिला है, जिसमें वित्त मंत्री ने हिमाचल प्रदेश के आपदा को लेकर विशेष मदद का जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा कि इस बार के रेल बजट में भी हिमाचल को रिकॉर्ड बजट प्राप्त हुआ है, वर्ष 2024-25 के बजट में हिमाचल के लिए 2698 करोड़ रुपये रेलवे विस्तारीकरण सहित अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए आवंटित किए हैं। हिमाचल प्रदेश में रेलवे विकास के लिए जारी बजट पूर्व की यूपीए सरकार से 25 गुणा ज्यादा है। यह हिमाचल में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा। उन्होंने बताया कि हिमाचल में नैरोगेज को छोड़कर रेलवे ने 100 प्रतिशत बिजलीकरण का काम पूरा कर लिया है। राज्य में शिमला सहित चार स्टेशनों को

विश्वस्तरीय मानकों के आधार पर निर्मित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में चार रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जाए। इनमें अंब-अंदौरा, बैजनाथ पपरोला, पालमपुर, शिमला को शामिल किया गया है। भानुपल्ली बिलासपुर-बैरी, चंडीगढ़-बद्दी और नंगल डैम-तलवाड़ा रेललाइन का कार्य तेज गति से चल रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति काफी अलग हैं इसके लिए हिमालय टनलिंग मैथड के तहत कार्य किया जाएगा। चंडीगढ़-बद्दी रेललाइन प्रोजेक्ट के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। इससे पहले अंतरिम बजट में भी इसकी घोषणा हुई थी। अंबाला मंडल के डीआरएम मंदीप सिंह भाटिया ने बताया कि रेलवे ने वर्ष 2007 में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। यह रेललाइन 33.23 किलोमीटर लंबी है। नंगल हैम-तलवाड़ा रेल लाइन के लिए 500 करोड़ रुपये और भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेललाइन के 1700 करोड़ का बजट जारी किया है।

• संपादकीय...

विश्व हेपेटाइटिस दिवस

हेपेटाइटिस लिवर में होने वाली सूजन है, जो वायरस, शराब के सेवन, विषाक्त पदार्थों या कुछ दवाओं सहित विभिन्न कारकों के कारण हो सकती है। हेपेटाइटिस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे आम वायरल हेपेटाइटिस है, जो एक विशेष वायरस के कारण होता है।

लिवर हमारे शरीर का एक अहम अंग है। यह शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने के साथ ही कई सारे महत्वपूर्ण कार्य करता है। हेपेटाइटिस लिवर से जुड़ी एक गंभीर समस्या है, जिससे के लेकर जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। यह दिन हर साल 28 जुलाई को नोबेल-पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉ. बारूक ब्लमबर्ग के जन्मदिवस के मौके पर मनाया जाता है। डॉ. बारूक ने ही हेपेटाइटिस बी वायरस (एचबीवी) की खोज की थी और इस वायरस के लिए एक परीक्षण और टीका विकसित किया था। हेपेटाइटिस में पांच तरह के संक्रमण होते हैं, 'ए, बी, सी, डी और ई'। हेपिटाइटिस का खतरा कई कारणों से हो सकता है, जैसे कमजोरी इम्यूनिटी, खानपान में गड़बड़ी, ड्रग्स, शराब और नशीले पदार्थों का बहुत ज्यादा सेवन करने से इस बीमारी का खतरा ज्यादा हो सकता है। मानसून के दौरान, जल प्रदूषण एक आम समस्या होती है, जो हेपेटाइटिस का कारण बन सकती है। इसलिए इससे बचने के लिए हमेशा उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी पिएं। घर में वॉटर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें और कहीं से भी पानी पीने से बचें। इसके अलावा यात्रा करते समय अपनी पानी की बोतल साथ रखें। प्रदूषण की संभावना बढ़ने के कारण मानसून के दौरान स्ट्रीट फूड और कच्चे फूड आइटम्स को खाना विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए ताजा और पका हुआ भोजन चुनें। हेपेटाइटिस को फैलने से रोकने के लिए किसी भी तरह के वेस्ट प्रोडक्ट खासकर ह्यूमन वेस्ट को सही तरीके डिस्पोज करें। कुछ प्रकार के हेपेटाइटिस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन एक बेहद प्रभावी तरीका है। हेपेटाइटिस ए और बी की वैक्सीन लगवाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, खासकर अगर आप हाई रिस्क में हैं या इस बीमारी के फैलने की संभावना वाले क्षेत्रों में रह रहे हैं।

■ अनल पत्रवाल
संपादक, हिमाचल अभी अभी

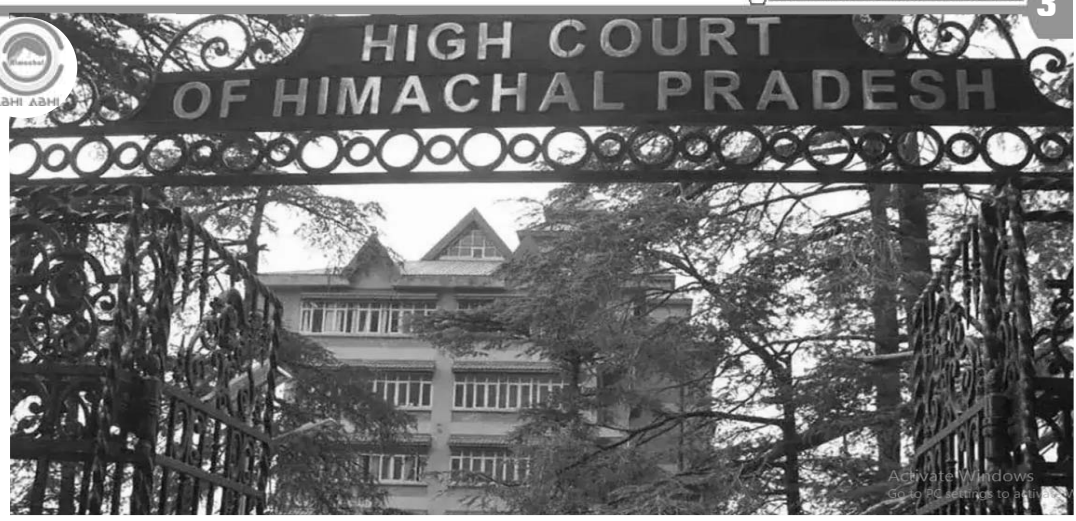

वन भूमि को खाली करने के आदेश

संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह अगर उक्त भूमि के सीमांकन के दौरान अन्य अतिक्रमणों को मोके पर पाते है तो उन्हें भी समयबद्ध तरीके से वन भूमि से कानून के दायर में रहकर उचित कार्रवाई करके छह माह में हटा दें।

कब्जाई वन भूमि पर यदि कोई निर्माण किया गया है तो वह हिमाचल प्रदेश सरकार या वन विभाग में निहित होगा और उसका राज्य सरकार या वन विभाग द्वारा उपयोग किया जाएगा...

● कुलभूषण खजूरिया/शिमला

प्रदेश हाईकोर्ट ने कुल्लू वन क्षेत्र की भूमि पर किए अवैध कब्जे से जुड़े एक मामले का निपटारा करते हुए तुरंत वन भूमि को खाली करने के आदेश जारी किए है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि मंडलीय आयुक्त व कलेक्टर-सह मंडलीय वन अधिकारी, आनी वन मंडल, लुहरी, जिला कुल्लू के आदेशों से प्रार्थी द्वारा सरकारी वन भूमि पर किए अवैध कब्जे की पुष्टि हो गई है। इसलिए संबंधित तहसीलदार, राजस्व अधिकारियों, डीएफओ सहित अन्य वन अधिकारियों को सरकारी वन भूमि की स्थायी सीमा तय करने के पश्चात प्रार्थी द्वारा कब्जाई तमाम वन भूमि का कब्जा वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने उक्त अधिकारियों को इस बाबत 31 अगस्त 2024 तक का समय दिया गया है। कोर्ट ने मौके से कब्जा वापस लेने के संबंध में अनुपालना शपथ पत्र संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा दाखिल करने के आदेश भी जारी किए है। संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह अगर उक्त भूमि के सीमांकन के दौरान अन्य अतिक्रमणों को मोके पर पाते है तो उन्हें भी समयबद्ध तरीके से वन भूमि से कानून के दायर में रहकर उचित कार्रवाई करके छह माह में हटा दें। कब्जाई वन भूमि पर यदि कोई निर्माण किया गया है तो वह हिमाचल प्रदेश सरकार या वन विभाग में निहित होगा और उसका राज्य सरकार या वन विभाग द्वारा उपयोग किया जाएगा। कोर्ट ने प्रार्थी को छूट दी है कि यदि वह निर्माण से जुड़ी सामग्री उक्त वन भूमि से खुद ही हटाकर ले जाना चाहे तो वह 30 अक्तूबर, 2024 से पहले यह कार्य कर सकता है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उपरोक्त निर्देशों की अनुपालना में किसी भी लापरवाही या ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ परिणामी प्रतिकूल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कोर्ट ने संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी करने और वीडियोग्राफी की प्रति शपथ पत्र के साथ रिकॉर्ड पर रखने के आदेश भी दिए। महाधिवक्ता को समय पर अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए इन आदेशों को हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के ध्यान में लाने का निर्देश दिया गया है। मामले को अनुपालना हेतु 23 सितम्बर को सूचीबद्ध किया गया है। प्रार्थी के खुद के दावे के अनुसार वह सरकारी वन भूमि का उपयोग पिछले 20-25 वर्षों से फलदार पेड़ उगाने के लिए कर रहा है। राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में भूमि का सीमांकन किया गया था, लेकिन प्रार्थी के अनुसार वह सीमांकन के समय उपस्थित नहीं था, लेकिन उसने लिखित में दिया था कि उसकी उपस्थिति में भूमि के सीमांकन पर यदि कोई सरकारी भूमि उनके कब्जे में पाई जाती है, तो वह उसे खाली करने के लिए तैयार है।

नौटी खड्ड में डूबा

शिमला : जिला के पुलिस थाना सुन्नी थाना क्षेत्र की नौटी खड्ड में एक एनसीसी छात्र की नहाते समय डूबने से मौत हो गई। हादसा बुधवार शाम चाबा नामक स्थान पर हुआ। मृतक छात्र की पहचान कुश ठाकुर (20) निवासी अर्की जिला सोलन के रूप में हुई है। सुन्नी के सरकारी स्कूल में 16 से 24 जुलाई तक एनसीसी शिविर का आयोजन हुआ था। शिविर की समाप्ति के बाद कुछ बच्चे अपने स्कूल व घरों को लौट गए, जबकि 25 बच्चे विभिन्न स्कूलों के शिविरों में ही ठहरे थे। बुधवार को शिविर इंचार्ज श्याम लाल के पर्यवेक्षण में ये बच्चे नौटी खड्ड स्थित चाबा में नहाने व कपड़े धोने गए थे। इस दौरान एक छात्र कुश ठाकुर नहाने के लिए पानी में उतर गया। नहाने के क्रम में वह डूबने लगा। डूबता देख उसके साथियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। उधर, डीएसपी शिमला मानवेंद्र ठाकुर का कहना है कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

• उपलब्धि...

सिरमौर को पुरस्कार

नाहन : चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर (हिमाचल प्रदेश) के कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर स्थित धौलाकुआं को प्राकृतिक खेती पर कार्य करने के लिए 'उत्कृष्ट प्राकृतिक खेती पुरस्कार' शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी विश्वविद्यालय श्रीनगर में प्रदान किया गया। ये पुरस्कार केवीके सिरमौर के प्रभारी एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉ. पंकज मित्तल ने प्राप्त किया। डॉ. पंकज मित्तल ने बताया कि 22-23 जुलाई को शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय शालीमार-कश्मीर में कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से प्राकृतिक खेती के उन्नयन पर प्रगति समीक्षा व जागरूकता कार्यशाला के दौरान सिरमौर को प्राकृतिक खेती पर कार्य करने के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ है। श्रीनगर में आयोजित की गई कार्यशाला में शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय शालीमार- कश्मीर के कुलपति डॉ. नजीर अहमद गनई ने कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर के प्रमुख डॉ. पंकज मित्तल और डॉ. शिवाली धीमान को श्रीनगर में कार्यशाला के समापन समारोह के दौरान ये पुरस्कार प्रदान किया।

• मनाली में हादसा...

■ मनाली : कुल्लू-मनाली हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। यहां बाहनु के पास सुबह न्यू प्रेम बस पलट कर सड़क से नीचे नदी में जा गिरी, जिससे 12 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का उपचार सिविल हॉस्पिटल मनाली में चल रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य आरंभ किया। हादसे आंशिक रूप से घायल चार लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। थाना प्रभारी मुकेश राठौर ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।